प्रेस नोट दिनांक 02/06.2026

थाना हजरतपुर, बदायूँ।

थाना हजरतपुर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 17/18.05.2026 को ग्राम रैपुरा से भैंस चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 71/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त के कब्जे से नगद 5200/- रुपये व अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद बदायूँ द्वारा मुकदमों के अनावरण हेतु निर्देश दिये गये थे आदेश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी दातागंज के नेतृत्व मे थाना हजरतपुर पर पंजीकृत मुकदमा का सफल अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी / माल बरामदगी हेतु टीमें गठित की गयी थी।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.06.2026 को रात्रि में पुलिस चैकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर दिनांक 17/18.05.2026 की रात्रि में ग्राम रैपुरा में हुई भैंस चोरी की घटना करने वाले सदिग्ध व्यक्ति ग्राम जमालपुर से गढिया शाहपुर रोड से 20 कदम नदी की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से जा रहे हैं जो आज किसी अन्य घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा पहुँचकर रास्ते की नाकाबन्दी कर कच्चे रास्ते से जा रहे संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने को कहा तो नही रुके और पुलिस को देख भागने लगे तब पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण करने को कहा लेकिन उनमें से एक सदिग्ध व्यक्ति ने फायर किया जिससे आरक्षी 3379 जितेन्द्र सिंह घायल हो गया तथा पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त पप्पू उर्फ पापू उर्फ साजन पुत्र सिकन्दर उर्फ पटवारी निवासी ग्राम नदरई थाना कासगंज जनपद कासगंज के दोनों पैरों में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया । घायल आरक्षी व अभियुक्त को उपचार हेत जिला अस्पताल बदायूँ को भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे से भैंस चोरी कर बेचने पर हिस्से में आये

5200/- रुपये व 01 तमंचा 315 बोर व 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुए पुलिस मुठभेड़ की घटना के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*गिरफ्तार अभियुक्त पूछताछ विवरण –**

गिरफ्तार अभियुक्त पप्पू उर्फ पापू उर्फ साजन पुत्र सिकन्दर उर्फ पटवारी निवासी ग्राम नदरई थाना व जनपद कासगंज से पूछताछ करने बताया कि मैं अपने अन्य साथियों के साथ भैस चोरी करने जैसी घटनाओं को अंजाम देना बताया। दिनांक 17/18.05.2026 की रात्रि में ग्राम रैपुरा में भैंस चोरी की घटना मैंने अपने साथियों के साथ की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पप्पू उर्फ पापू उर्फ साजन उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 111/15 धारा 399/402 भादवि थाना सैद नंगली जनपद अमरोहा

2. मु0अ0सं0 116/15 धारा 413/414/420 भादवि थाना सैद नंगली जनपद अमरोहा

3. मु0अ0सं0 138/15 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना सैद नंगली जनपद अमरोहा

4. मु0अ0सं0 294/2020 धारा 380 भादवि थाना दादो,अलीगढ।

5. मु0अ0सं0 225/2020 धारा 307 भादवि थाना पालीमुकीमपुर,अलीगढ।

6. मु0अ0सं0 226/2020 धारा 102,41,411 भादवि थाना पालीमुकीमपुर,अलीगढ

7. मु0अ0सं0 35/2025 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना पालीमुकीमपुर,अलीगढ।

8. मु0अ0सं0 71/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना हजरतपुर ,बदायूँ।

9. मु0अ0सं0 83/26 धारा 109/3(5) बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना हजरतपुर जनपद बदायूँ।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण---

गिरफ्तार अभियुक्त पप्पू उर्फ पापू उर्फ साजन उपरोक्त के कब्जे से 5200/- रुपये व 01 अदद तमंचा 315 बोर , 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना हजरतपुर जनपद बदायूँ

1. पुष्पेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना हजरतपुर बदायूँ

2. उ0नि0 श्री मुनेश कुमार

3. हे0का0 61 अनुज कुमार

4. का0 816 सुरेन्द्र चौधरी

5. का0 2119 सुमित भाटी